

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

तहसीलदार मुकाम महारा

खेतदार बनाम मंगतु अण्सांवल्या माली

खेत नुम्बरा खारा 91.2 R A 4 नं. 338 सन् 18

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुता की तारीख
में जारी हुए

हुता या कार्यवाही मय इतिहासित्य राज.

19-18

पहली हुता की रिपोर्ट देकर अतिक्रमी
को राजस्थान अ-राजस्व अधिनियम 1956 की
धारा 91 का नोटिस जारी कर फतावली दिनांक
28.2.18 को पेश हो।

तहसीलदार
तहसील-महारा (बीसा)

25/2/18 फतावली पेश हुई। आज लगेवतु
अतिक्रमी उपस्थित रहे हैं आज श्री मंगु
पीठसीन अधिकारी अण्सांवल्या पर ही अधिसूचना
में अतिक्रमी को पुनः नोटिस जारी कर फतावली
दिनांक 9/3/18 को पेश हो।

मंगतु अण्सांवल्या माली

9/3/18

आज फतावली पेश हुई। आज लगेवतु
गड्डे। अतिक्रमी उपस्थित आया है। अतिक्रमी
द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार
किया गया है। अतिक्रमी पीठसीन लालजी
की अतिक्रमण श्रुति से अतिक्रमी को
आतिक्रमण रूप से वेदखुल किया जा रहा है।
विस्तृत विवरण पृथक से लिखा जाकर
संलग्न फतावली है।

तहसीलदार
तहसील-महारा (बीसा)

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

नम्बर 338/18 तारीख रज 19/3/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का ~~धौसा~~ बनाम
 मंगत पुत्र शिवलिया जाति भाली निवासी पीतलियावाली तहसील
 महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 09/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम ~~मधवा~~ हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री ~~मंगत~~ ने ग्राम ~~पीतलियावाली~~ की भूमि ख.न. 838 रकबा 0.02 किस्म ~~गोधुआला~~ संवत् 2074 में ~~गोदु~~ कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 838 रकबा 0.02 किस्म ~~गोधुआला~~ वाके ग्राम ~~पीतलियावाली~~ से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का ~~0.88~~ 50 गुणा ~~44 रु~~ शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल ~~गोदु~~ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/व के पेज नं० 65 पर
 वर्ष 2017-18 की शर्त के तहत
 की जमा कायमी वसूली हेतु
 दिनांक 21/3/18 तहसील महवा
 लेखाकार